

कार्यलय प्रधानाचार्य  
राजकीय बहुतकनीकी  
सेऊ बाग जिला कुल्लू हि0 प्र0

Website: [www.gpkullu.in](http://www.gpkullu.in), Email: [gpkul-hp@nic.in](mailto:gpkul-hp@nic.in), Ph . 01902- 230006

संख्या 173

दिनांक: 28/9/2024

सूचना

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि राजकीय बहुतकनीकी सेऊ बाग कुल्लू में कैंटीन को चलाने को चलाने हेतु दिनांक 7/10/2024 को बोली लगाई जानी सुनिश्चित की गई थी। परन्तु भारी बरसात होने कारण उक्त कैंटीन की बोली की तिथी को बदला गया है। अतः इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आगामी दिनांक 7/10/2024 को 11:00 बजे राजकीय बहुतकनीकी सेऊ बाग में होने वाली उक्त बोली में हिस्सा ले सकते हैं। कैंटीन में बिक्रय की जाने वाली वस्तुओं तथा उनके मूल्य का निर्धारण संस्था द्वारा गठित समीती द्वारा किया गया है, (मीनू की प्रतिलिपी कार्यलय से प्राप्त करें), जो भी ठेकेदार कैंटीन के रेट की सबसे अधिक बोली लगायेगा उसे निम्न शर्तों पर काम करने ठेका दिया जाएगा।

शर्तें निम्न प्रकार से हैं।

- 1 कैंटीन में बैठने के लिए फर्नीचर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
- 2 कैंटिन व कैफेटेरिया का किराया प्रतिमाह 5 तारीख से पहले संस्थान के रोकडिया (cashier) के पास जमा करवाना होगा।
- 3 कैंटिन में किसी भी प्रकार का धुम्रपान एवं नशीले मादक पदार्थों का सेवन करना व बेचना व रखना पूर्णतय निषेध होगा।
- 4 ठेकेदारके पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रमाण पत्र (Food Safty Act Certificate ) होना अनिवार्य होगा।
- 5 कैंटिन की धरोहर राषी मु0 10000- /रु की राषी रखी गई है जो कि बोली होने से पहले कार्यलय में जमा करनी होगी जो बोली दाता पात्र नंही होंगे उनकी धरोहर राषी तत्काल उसी समय वापिस की जाएगी।
- 6 ठेकेदार अवधी के दौरान कार्य छोड़ कर नहीं जा सकता यदि ऐसा हुआ तो उसकी धरोहर राषी जब्त कर ली जाएगी।
- 7 किसी भी प्रकार की शिकायत आने तथा संचालन नियमों में कमी पाई जाने की दशा में प्रधानाचार्य प्रदत्त कार्य को रद कर सकते हैं।
- 8 ठेकेदार के पास किसी भी संस्थान या विभागिय कैंटिन में काम करने का 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

- 9 ठेकेदार को कैंटिन को चलाने के लिए उचित कर्मचारी रखने अनिवार्य होंगे तथा चिकित्सीय रूप से से सभी कर्मचारी उपयुक्त (Fit) होने चाहिए।
- 10 ठेकेदार को कैंटिन की बोली लगानी होगी।
- 11 यदि किसी कारणवश एक ठेकेदार को कैंटिन का ठेका मिल जाता है तो उसे इसे चलाना अनिवार्य होगा अन्यथा धरोहर राषी जब्त कर दी जाएगी।
- 12 ठेकेदार को यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटिन परिसर में खतरनाक या ज्वलनशील या नशीला पदार्थ जमा ना हो।
- 13 राजकीय बहुतकनीकी सेऊ बाग कुल्लू के प्रतिनिधि गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से निरीक्षण और परिक्षण के उदेश्य से कैंटिन से खाद्य या कच्चे माल के नमूने लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 14 कैंटिन में ठेकेदार खाद्य समग्री परोसने के उदेश्य से सभी कॉकरी बर्तन गैस कुनेक्शन माइक्रो वेव , ओवन फ्रिज , मिक्सर , ग्रेंडर उपकरण की अपने स्तर पर व्यवस्था करेगा।
- 15 अनुबन्ध प्रारंभ के अनुबन्ध की तिथी सके एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा उसके बाद आपसी समझौते और संस्थान की कमेटी के विवेक पर आवश्यक होने पर इसे आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है
- 16 किसी विवाद की स्थिति में , प्रधानाचार्य राजकीय बहुतकनीकी सेऊ बाग कुल्लू का निर्णय अंतिम एवं ठेकेदार के लिए बाध्य होगा।

प्रधानाचार्य

राजकीय बहुतकनीकी सेऊ बाग कुल्लू  
हि0प्र0

पृष्ठांकन संख्या जी0 पी0 कुल्लू कैंटिन फाइल/2024 (286 -129)

दिनांक:- 28/9/2024

प्रतिलिपि

- 1 सर्वसाधारण की सूचना हेतु तहसील कार्यलय सूचना पट।
- 2 उपमण्डलाधिकारी ना0 (एस0डी0 एम0) कार्यलय सूचना पट।
- 3 कार्यकारी अधिकारी , कार्यलय सूचना पट ।
- 4 पंचायत कार्यलय सूचना पट।
- 5 बस स्टैण्ड , कार्यलय सूचना पट।
- 6 राजकीय बहुतकनीकी सेऊबाग कुल्लू सूचना पट।
- 7 ~~संस्थान~~ की website पर uplod.

प्रधानाचार्य

राजकीय बहुतकनीकी सेऊ बाग कुल्लू  
हि0प्र0